

न्यायालय : प्रतिष्ठा अवस्थी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड,
मध्यप्रदेश

प्रकरण क्रमांक : 700749/2016 इ.फौ.

संस्थापन दिनांक : 28.11.2016

म.प्र.राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र गोहद, जिला भिण्ड म.प्र.

— अभियोजन

बनाम

- 1— जुम्न खॉ पुत्र अल्लावकश खॉ, आयु—55 वर्ष,
 - 2— शादिक खॉ पुत्र जुम्न खॉ, आयु—24 वर्ष,
 - 3— इरफान उर्फ बबलू पुत्र जुम्न खॉ, आयु—26 वर्ष,
- निवासीगण—ग्राम गोहदी, थाना गोहद, जिला भिण्ड, म0प्र0

— अभियुक्तगण

(आरोप अंतर्गत धारा 294, 323(दो शीर्ष), [324/34](#), 506 भाग 2 भा0दं0सं0)

(राज्य द्वारा एडीपीओ— श्री प्रवीण सिकरवार)

(आरोपी द्वारा अधिवक्ता—श्री योगेन्द्र श्रीवास्तव)

निर्णय

(आज दिनांक— 09.02.2018 को घोषित)

- 1- आरोपीगण पर दिनांक 07.10.16 को 18.30 बजे सदर बाजार डाकघर के पास वार्ड नम्बर 14 गोहद में सार्वजनिक स्थल पर फरियादी नजमा को माँ बहन की अश्लील गालियाँ देकर उसे व सुनने वालो को क्षोभ कारित करने, नजमा को जान से मारने की धमकी देकर उसे आपराधिक अभित्रास कारित करने, फरियादी नजमा की लात घूसो एवं आहत छोटू की सरिये से मारपीट कर, उन्हें स्वेच्छया उपहति कारित करने एवं उसी समय सामान्य आशय के अग्रसरण में आहत छोटू को दाँतो से काटकर उसे स्वेच्छया उपहति कारित करने हेतु भा द स. की धारा 294, 506 भाग 2, 323 (2 शीर्ष), [324/34](#) के अंतर्गत आरोप है।
2. संक्षेप में अभियोजन घटना इस प्रकार है कि दिनांक 07.10.16 को शाम करीबन साढ़े छ बजे फरियादी नजमा बानो अपने सदर बाजार वाले दूसरे मकान में गयी थी, तभी वहाँ आरोपी जुम्न खॉ, बबलू खॉ एवं शादिक खॉ आ गये थे। आरोपीगण उसे माँ बहन की बुरी बुरी गालियाँ देने लगे थे। उसने आरोपीगण

को गाली देने से मना किया था तो आरोपी शादिक खॉ और बबलू खॉ ने उसकी लात घूसो से मारपीट की थी एवं जब उसे उसका लडका छोटू बचाने आया था तो जुम्न खॉ ने उसके लडके की सरिया से मारपीट की थी जिससे उसके लडके की पीठ एवं शरीर में मुंदी चोटे आयी थी। मौके पर उसके पति सलीम खॉ ने बीचबचाव किया था। आरोपीगण ने जाते समय जान से मारने की धमकी भी दी थी। फरियादी के रिपोर्ट पर पुलिस थाना गोहद में अप0 क्रमांक 89/16 पर अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया था। विवेचना के दौरान घटना स्थल का नक्शामौका बनाया गया था। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये थे। आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया था एवं विवेचना पूर्ण होने पर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

3. उक्त अनुसार आरोपीगण के विरुद्ध आरोप विरचित किए गए। आरोपीगण को आरोपित अपराध पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपीगण ने आरोपित अपराध से इंकार किया है व प्रकरण में विचारण चाहा है। आरोपीगण का अभिवाक अंकित किया गया।
4. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत अपने अभियुक्त परीक्षण के दौरान आरोपीगण ने कथन किया है कि वह निदोष है एवं उन्हें प्रकरण में झूठा फंसाया गया है।
5. इस न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न उत्पन्न हुये हैं:-
 1. क्या आरोपीगण ने दिनांक 07.10.16 को 18.30 बजे सदर बाजार डाकघर के पास वार्ड क्रमांक 14 गोहद में सार्वजनिक स्थल पर फरियादी नजमा को मों बहन की अश्लील गालियों देकर उसे व सुनने वालो को क्षोभ कारित किया?
 2. क्या आरोपीगण ने घटना दिनांक समय व स्थान पर फरियादी नजमा को जान से मारने की धमकी देकर उसे आपराधिक अभिवास कारित किया?
 3. क्या घटना दिनांक को फरियादी नजमा एवं आहत छोटू के शरीर पर उपहतियों थी? यदि हाँ तो उनकी प्रकृति?
 4. क्या उक्त उपहतियों फरियादी नजमा एवं आहत छोटू को आरोपी और केवल आरोपीगण द्वारा ही सामान्य आशय के अग्रसरण में स्वेच्छया कारित की गयी?
6. उक्त विचारणीय प्रश्नो के संबंध में अभियोजन की ओर से फरियादी नजमा बानो अ.सा. 1, आहत इमरान खॉ उर्फ छोटू अ.सा. 2, सलीम खान अ.सा. 3, डॉ आलोक शर्मा अ.सा. 4, रफीक खॉन अ.सा. 5 एवं प्रधान आरक्षक प्रमोद पावन अ.सा. 6 को परीक्षित कराया गया है जबकि आरोपीगण की ओर से बचाव में किसी भी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है।

निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के कारण

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01

7. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में फरियादी नजमा बानो अ.सा. 1 ने

न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि घटना उसके न्यायालयीन कथन से एक वर्ष पूर्व क्वॉर के महीने की शाम साढ़े छः पौने सात बजे की है। वह अपने पति सलीम और लडके छोटू के साथ सदर बाजार अपने मकान पर गयी थी तो वहाँ उसे आरोपी जुम्मन, शादिक व बबलू मिल गये थे। आरोपीगण उसे बीच बाजार में माँ बहन की बुरी बुरी गालियाँ देने लगे थे, जो उसे सुनने में बुरी लग रही थी। आहत इमरान खॉ उर्फ छोटू अ.सा. 2, सलीम खॉ अ.सा. 3, एवं रफीक खॉ अ.सा. 5 ने भी उक्त बिन्दु पर फरियादी नजमा बानो अ.सा. 1 के कथन का समर्थन किया है एवं आरोपीगण द्वारा माँ बहन की बुरी बुरी गालियाँ दिये जाने बाबत प्रकटीकरण किया है।

8. इस प्रकार फरियादी नजमा अ.सा. 1, इमरान खॉ उर्फ छोटू अ.सा. 2, सलीम खॉ अ.सा. 3 एवं रफीक खॉ अ.सा. 5 ने आरोपीगण द्वारा माँ बहन की बुरी बुरी गालियाँ दिया जाना तो बताया है, परंतु उक्त साक्षीगण द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि वास्तविक रूप से किस आरोपी ने कौन से अश्लील शब्द उच्चारित किये थे, जिन्हें सुनकर फरियादी को क्षोभ कारित हुआ था। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि जहाँ कई आरोपीगण पर गालियाँ दिये जाने का आरोप हो, वहाँ साक्षी का मात्र यह कह देना पर्याप्त नहीं होगा कि सभी आरोपीगण ने गालियाँ दी थी। साक्ष्य प्रत्येक आरोपी के विरुद्ध विनिर्दिष्ट स्वरूप की होनी चाहिये। सभी आरोपीगण के विरुद्ध सामान्य स्वरूप की साक्ष्य स्वीकार योग्य नहीं होगी।
9. प्रस्तुत प्रकरण में फरियादी नजमा अ.सा.1, इमरान खॉ उर्फ छोटू अ.सा. 2, सलीम खॉ अ.सा. 3 एवं रफीक खॉ अ.सा. 5 ने सभी आरोपीगण द्वारा माँ बहन की गालियाँ दिया जाना तो बताया है परंतु यह नहीं बताया है कि वास्तविक रूप से किस आरोपी ने कौन से अश्लील शब्द उच्चारित किये थे, जिन्हें सुनकर फरियादी को क्षोभ कारित हुआ था। ऐसी स्थिति में भा द स. की धारा 294 के संघटक पूर्ण नहीं होते हैं एवं आरोपीगण को उक्त अपराध में दोषारोपित नहीं किया जा सकता है। फलत यह न्यायालय आरोपीगण को भा द स. की धारा 294 के आरोप से दोषमुक्त करती है।

विचारणीय प्रश्न कर्मांक 02

10. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में फरियादी नजमा बानो अ.सा. 1 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में यह व्यक्त किया है कि आरोपीगण ने कहा था कि "अगर तुम रिपोर्ट करने गये, तो तुम्हें जान से खत्म कर देंगे" आहत इमरान खॉ उर्फ छोटू अ.सा. 2, सलीम खॉ अ.सा. 3 ने भी उक्त बिन्दु पर फरियादी नजमा अ.सा. 1 के कथन का समर्थन किया है एवं आरोपीगण द्वारा जान से मारने की धमकी दिये जाने बाबत प्रकटीकरण किया है।
11. इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण में फरियादी नजमा बानो अ.सा. 1, आहत इमरान खॉ उर्फ छोटू अ.सा. 2 एवं सलीम खॉ अ.सा. 3 ने सभी आरोपीगण द्वारा जान से मारने की धमकी दिया जाना बताया है परंतु उक्त साक्षीगण द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि वास्तविक रूप से किस आरोपी ने कौन से शब्द उच्चारित किये थे। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि भा.द.स. की धारा 506 भाग 2 को प्रमाणित होने के लिये यह आवश्यक है कि आरोपीगण द्वारा दी गयी धमकी वास्तविक हो और उसे सुनकर फरियादी को भय अथवा अभित्रास कारित हुआ हो। मात्र क्षणिक आवेश में दी गयी धमकियों से भा.द.स. की धारा 506 भाग 2 का

अपराध प्रमाणित नहीं होता है।

12. प्रस्तुत प्रकरण में फरियादी नजमा बानो अ.सा.1, इमरान खॉ उर्फ छोटू अ.सा. 2, सलीम खॉ अ.सा. 3 ने सभी आरोपीगण द्वारा जान से मारने की धमकी दिया जाना तो बताया है परंतु उक्त साक्षीगण द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि आरोपीगण द्वारा दी गयी धमकियों को सुनकर उन्हें भय अथवा अभित्रास कारित हुआ था। ऐसी स्थिति में भा.द.स. की धारा 506 भाग 2 के संघटक पूर्ण नहीं होते हैं एवं आरोपीगण को उक्त अपराध में दोषारोपित नहीं किया जा सकता है। फलतः यह न्यायालय आरोपीगण को भा.द.स. की धारा 506 भाग 2 के आरोप से दोषमुक्त करती है।

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 03

13. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में डॉ० आलोक शर्मा अ.सा. 4 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि उसने दिनांक 07.10.16 को सा.स्वा.केन्द्र गोहद में थाना गोहद के आरक्षक गंधर्व सिंह द्वारा लाये जाने पर आहत छोटू का चिकित्सकीय परीक्षण किया था एवं परीक्षण के दौरान उसने छोटू के शरीर पर तीन चोटें पायी थी, जिनमें से चोट क्रमांक 1 दाँयी अग्र भुजा पर छिले का घाव, चोट क्रमांक 2 दाँये बखा पर दाँत से काटने का निशान, चोट क्रमांक 3 बाँये बखा पर दाँत से काटने का निशान पाया था। उसके मतानुसार चोट क्रमांक 1 सख्त एवं मौथरे वस्तु से तथा चोट क्रमांक 2 व 3 मानव दाँत से आना संभावित थी, चोट क्रमांक 1 की प्रकृति जानने के लिये उसने एक्स-रे की सलाह दी थी। शेष चोटें साधारण प्रकृति की थी एवं उसकी परीक्षण अवधि के पूर्व छः घण्टे के अंदर की थी। उसकी चिकित्सकीय रिपोर्ट प्र पी 3 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि उसने दिनांक 08.10.16 को आहत छोटू का एक्सरे परीक्षण किया था एवं परीक्षण के दौरान उसने छोटू के कोई अस्थिभंग होना नहीं पाया था। उसकी एक्सरे रिपोर्ट प्र पी 4 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं प्रतिपरीक्षण के पद क्रमांक 3 में उक्त साक्षी ने व्यक्त किया है कि चोट क्रमांक 1 धक्कामुक्की में गिरने से आना संभव है। उक्त साक्षी ने इसी पद क्रमांक में यह भी व्यक्त किया है कि आहत नजमा को कोई चोट नहीं थी।
14. फरियादी नजमा बानो अ.सा. 1 ने भी झगड़े के दौरान छोटू के पीठ एवं दाहिने हाथ में चोट आना बताया है। आहत इमरान उर्फ छोटू अ.सा. 2 ने भी झगड़े के दौरान उसके सीधे हाथ एवं पीठ में चोट आना बताया है। सलीम खॉन अ.सा. 3 ने भी छोटू की पीठ में एवं दाहिने हाथ में चोट होना बताया है।
15. इस प्रकार आहत छोटू उर्फ इमरान अ.सा. 2 ने झगड़े के दौरान उसके सीधे हाथ में चोट आना बताया है। फरियादी नजमा बानो अ.सा. 1, सलीम खॉ अ.सा. 3 तथा डॉ० आलोक शर्मा अ.सा. 4 द्वारा भी उक्त बिन्दु पर आहत छोटू उर्फ इमरान अ.सा. 2 के कथन का समर्थन किया गया है एवं झगड़े के दौरान आहत छोटू उर्फ इमरान अ.सा. 2 के शरीर में चोटें होने बाबत प्रकटीकरण किया गया है। बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा उक्त सभी साक्षीगण का पर्याप्त प्रतिपरीक्षण किया गया है परंतु प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त सभी साक्षीगण का कथन आहत इमरान उर्फ छोटू के शरीर पर उपहति होने के बिन्दु पर अखण्डनीय रहा है। डॉ० आलोक शर्मा अ.सा.4 चिकित्सीय विशेषज्ञ होकर स्वतंत्र साक्षी है, उसकी फरियादी से कोई

हितबद्धता एवं आरोपीगण से कोई रंजिश होना अभिलेख से दर्शित नहीं है। उक्त साक्षी का कथन अपने परीक्षण के दौरान आहत इमरान उर्फ छोटू के शरीर पर उपहति होने के बिंदु पर अखण्डनीय भी रहा है एवं अखण्डनीय रहे कथन के संबंध में यह उपधारणा की जाती है कि अखण्डनीय रहे कथन की सीमा तक उभयपक्षों के मध्य कोई विरोध नहीं है। डॉ आलोक शर्मा अ.सा.4 द्वारा अपने कथन में यह भी बताया गया है कि आहत नजमा को कोई चोटें नहीं थीं।

16. फलतः उपरोक्त अवलोकन से यह प्रमाणित है कि घटना दिनांक को फरियादी नजमा के शरीर पर कोई चोटें नहीं थीं एवं आहत इमरान उर्फ छोटू के शरीर पर उपहतियां थीं जिनकी प्रकृति साधारण थी।

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 04

17. अब मुख्य विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या उक्त उपहतियां फरियादीगण को आरोपी और केवल आरोपीगण द्वारा ही सामान्य आशय के अग्रशरण में स्वेच्छया कारित की गयी थीं? उक्त संबंध में फरियादी नजमा बानो अ.सा.1 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि घटना उसके न्यायालयीन कथन से लगभग एक वर्ष पहले की क्वार माह की शाम साढ़े छः पौने सात बजे की है वह अपने पति सलीम एवं लड़के छोटू के साथ सदर बाजार स्थित अपने मकान पर गयी थी जहां उसे आरोपी जुम्नन, सादिक एवं बबलू मिल गये थे। आरोपीगण ने गालियां दी थीं जब उसने गाली देने से मना किया था तो आरोपी सादिक एवं बबलू उसकी लात घूसों से मारपीट करने लगे थे जब उसका लड़का छोटू बचाने आया था तो आरोपी जुम्नन ने छोटू के सरिया मारा था जो छोटू के पीठ में तथा दाहिने हाथ में लगा था फिर उसके पति सलीम ने आकर बीच-बचाव कराया था उसने घटना की रिपोर्ट थाना गोहद में लिखाई थी जो प्र.पी.1 है जिसपर उसका निशानी अंगूठा है।
18. प्रतिपरीक्षण के पद क्र. 2 में उक्त साक्षी का कहना है कि उसका आरोपीगण से झगड़ा करीब डेढ़ दो घण्टे चला था। रिपोर्ट करने वह अकेले गयी थी रिपोर्ट उसने थाने में बोलकर लिखाई थी। पद क्र. 3 में उक्त साक्षी का कहना है कि उसे बचाने के लिए सबसे पहले उसका लड़का छोटू आया था उसके शरीर में कुल चार चोटें आयी थीं उसके पति को कोई चोट नहीं आयी थी रास्ते में निकलने वाली बात पर से उसका आरोपीगण से झगड़ा एवं गाली-गलोच हुआ था।
19. आहत इमरान खां उर्फ छोटू अ.सा.2, सलीम खां अ.सा.3 एवं रफीक खान अ.सा.5 द्वारा भी फरियादी नजमा बानो अ.सा.1 के कथन का समर्थन किया गया है एवं आरोपीगण द्वारा नजमा तथा छोटू की मारपीट किये जाने बाबत प्रकटीकरण किया गया है।
20. प्रधान आरक्षक प्रमोद पावन अ.सा.5 ने अपने कथन में यह बताया है कि उसने दिनांक 07.10.16 को फरियादी नजमा की सूचना पर आरोपीगण के विरुद्ध प्र.पी.1 की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की थी जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।
21. तर्क के दौरान बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण में फरियादी एवं साक्षीगण एक ही परिवार के सदस्य हैं। फरियादी द्वारा किसी स्वतंत्र साक्षी को प्रकरण में परीक्षित नहीं कराया गया है।

परीक्षित अभियोजन साक्षीगण के कथन भी परस्पर विरोधाभाषी रहे हैं। अतः अभियोजन घटना संदेह से परे प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता है।

22. प्रस्तुत प्रकरण में सर्वप्रथम बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा यह तर्क किया गया है कि प्रकरण में फरियादी एवं साक्षीगण एक ही परिवार के सदस्य हैं। अभियोजन द्वारा किसी स्वतंत्र साक्षी को प्रकरण में परीक्षित नहीं कराया गया है अतः अभियोजन घटना संदेहास्पद हो जाती है, परंतु बचाव पक्ष अधिवक्ता का यह तर्क स्वीकार योग्य नहीं है। यद्यपि यह सत्य है कि प्रकरण में फरियादी नजमा बानो आहत इमरान उर्फ छोटू साक्षी सलीम खान एवं रफीक खान एक ही परिवार के सदस्य हैं, परंतु फरियादी के कथनों की स्वतंत्र साक्षियों से सम्पुष्टि का जो नियम है वह विधि का न होकर प्रज्ञा का है यदि प्रकरण में फरियादी एवं आहत के कथन अपने परीक्षण के दौरान तात्त्विक विसंगतियों से परे रहे हों तो मात्र इस आधार पर फरियादीगण के कथनों को अविश्वसनीय नहीं माना जा सकता है कि उनके कथनों की पुष्टि किसी स्वतंत्र साक्षी द्वारा नहीं की गयी है। अब देखना यह है कि क्या प्रस्तुत प्रकरण में फरियादी एवं आहतगण के कथन इतने विश्वसनीय हैं जिसके आधार पर आरोपीगण को दोषारोपित किया जा सकता है।
23. प्रस्तुत प्रकरण में फरियादी रजमा बानो अ.सा.1 ने अपने कथन में यह बताया है कि घटना वाले दिन वह अपने पति सलीम एवं लड़के छोटू के साथ सदर बाजार स्थित अपने मकान पर गयी थी तो वहां उसे आरोपी जुम्मन, सादिक एवं बबलू मिल गये थे। आरोपीगण ने उसे गालियां दी थीं तथा सादिक व बबलू ने उसकी लात-घूसों से मारपीट की थी एवं जब उसका लड़का छोटू बचाने आया था तो जुम्मन ने छोटू के सरिया मारा था जो छोटू की पीठ और दाहिने हाथ में लगा था फिर उसके पति सलीम ने आकर बीच-बचाव किया था। प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी ने यह बताया है कि उसे बचाने के लिए सबसे पहले उसका लड़का छोटू आया था आरोपीगण ने उसे लाठी से नहीं मारा था बल्कि लात-घूसों से मारा था रास्ते से निकलने की बात पर उसका आरोपीगण से झगड़ा हुआ था। उक्त साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि वह रिपोर्ट करने थाने पर अकेली गयी थी जबकि प्र.पी.1 की प्रथम सूचना रिपोर्ट में फरियादी नजमा के अपने लड़के छोटू खान के साथ रिपोर्ट करने थाने आने का उल्लेख है इस प्रकार उक्त बिंदु पर फरियादी नजमा वानो अ.सा.1 के कथन प्र.पी.1 की प्रथम सूचना रिपोर्ट से किंचित विरोधाभाषी रहे हैं, किन्तु उक्त विरोधाभाष इतना तात्त्विक नहीं है, जिसके आधार पर सम्पूर्ण अभियोजन कहानी को ही संदेहास्पद मान लिया जाये।
24. आहत इमरान उर्फ छोटू अ.सा.2 ने भी उक्त बिंदु पर फरियादी नजमा अ.सा.1 के कथन का समर्थन किया है एवं व्यक्त किया है कि घटना के समय आरोपी बबलू एवं सादिक ने उसकी मां की लात-घूसों से मारपीट की थी तथा जब वह बचाने गया था तो जुम्मन खान ने उसके सरिया मारा था। उक्त साक्षी का बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा पर्याप्त प्रतिपरीक्षण किया गया है, परंतु प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी का कथन तात्त्विक विरोधाभाषों से परे रहा है। साक्षी सलीम खां अ.सा.3 एवं रफीक खां अ.सा.5 ने भी फरियादी नजमा अ.सा.1 एवं इमरान उर्फ छोटू अ.सा.2 के कथन का समर्थन किया है एवं आरोपीगण द्वारा नजमा तथा इमरान उर्फ छोटू की मारपीट किये जाने बाबत प्रकटीकरण किया है। उक्त दोनों ही साक्षीगण का बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा पर्याप्त प्रतिपरीक्षण किया गया है, परंतु

प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त दोनों ही साक्षीगण का कथन तात्विक विसंगतियों से परे रहा है।

25. बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा तर्क के दौरान यह व्यक्त किया गया है कि फरियादी नजमा के शरीर पर कोई दर्शनीय चोट नहीं थी यह तथ्य अभियोजन कहानी को संदेहास्पद बना देता है। यहां यह उल्लेखनीय है कि अभिलेख के अनुसार फरियादी नजमा अ.सा.1 के शरीर पर कोई चोट होना दर्शित नहीं है। डॉ. आलोक शर्मा अ.सा.4 ने भी आहत नजमा के कोई चोटें न होना बताया है। यद्यपि फरियादी नजमा के शरीर पर कोई चोट होना दर्शित नहीं है, परंतु भा.दं.सं. की धारा 323 को प्रमाणित होने के लिए उपहति का दर्शनीय होना आवश्यक नहीं है। भा.दं.सं. की धारा 319 में उपहति की जो परिभाषा दी गयी है उसके अनुसार “जो कोई किसी व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा रोग या अंग शैथिल्य कारित करता है वह उपहति करता है यह कहा जाता है।”
26. इस प्रकार भा.दं.सं. की धारा 319 में जो उपहति की परिभाषा दी गयी है उसके अनुसार शारीरिक पीड़ा रोग या अंग शैथिल्य उपहति की श्रेणी में आते हैं। प्रस्तुत प्रकरण में फरियादी नजमा बानो अ.सा.1 ने आरोपी सादिक एवं बबलू द्वारा उसकी लात-घूसों से मारपीट करना बताया है। फरियादी का उक्त कथन अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान अखण्डित रहा है। प्रकरण में आयी साक्ष्य के अनुसार आरोपी सादिक एवं बबलू द्वारा फरियादी नजमा बानो की लात-घूसों से मारपीट की गयी है एवं लात-घूसों से की गयी मारपीट में शारीरिक पीड़ा होना स्वाभाविक है एवं शारीरिक पीड़ा भा.दं.सं. की धारा 319 के अंतर्गत उपहति की श्रेणी में आती है जो कि भा.दं.सं. की धारा 323 के अंतर्गत दण्डनीय है अतः मात्र इस आधार पर कि फरियादी नजमा को दर्शनीय चोटें नहीं थीं अभियोजन घटना संदेहास्पद नहीं हो जाती है।
27. बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा तर्क के दौरान यह भी व्यक्त किया गया है कि फरियादीगण द्वारा रंजिशन आरोपीगण को मिथ्या अपराध में संलिप्त किया गया है, परंतु बचाव पक्ष अधिवक्ता का यह तर्क स्वीकार योग्य नहीं है। यदि यह मान भी लिया जाये कि फरियादी एवं आरोपीगण के मध्य पूर्व से रंजिश चल रही है तो भी रंजिश एक ऐसी दुधारी तलवार है जिसका प्रयोग दोनों तरफ से किया जा सकता है। यदि रंजिश के कारण फरियादी द्वारा आरोपीगण को मिथ्या अपराध में संलिप्त किया जा सकता है तो रंजिश के कारण ही आरोपीगण द्वारा फरियादी की मारपीट भी की जा सकती है। अतः मात्र रंजिश के कारण आरोपीगण को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है।
28. बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क किया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन द्वारा विवेचक को परीक्षित नहीं कराया गया है यह तथ्य भी अभियोजन घटना को संदेहास्पद बना देता है, परंतु बचाव पक्ष अधिवक्ता का यह तर्क भी स्वीकार योग्य नहीं है यद्यपि यह सत्य है कि प्रकरण में अभियोजन द्वारा विवेचक को परीक्षित नहीं कराया गया है, परंतु यह अभियोजन की प्रक्रियात्मक त्रुटि है एवं उक्त त्रुटि का लाभ आरोपीगण को प्रदान नहीं किया जा सकता है।
29. यहां यह भी उल्लेखनीय है कि आरोपीगण पर आहत इमरान उर्फ छोटू की मारपीट के लिए भा.दं.सं. की धारा [324/34](#) का आरोप विरचित किया गया है। आहत इमरान उर्फ छोटू की चिकित्सीय रिपोर्ट प्र.पी.3 के अनुसार छोटू के शरीर

पर मानव दांत से काटने के निशाने पाये गये थे, परंतु आहत इमरान उर्फ छोटू अ.सा.1 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में आरोपी जुम्मन द्वारा उसकी सरिये से मारपीट करना बताया है। फरियादी नजमा वानो अ.सा.1, सलीम अ.सा.2 एवं रफीक खान अ.सा.5 ने भी आरोपी जुम्मन द्वारा छोटू की सरिये से मारपीट करना बताया है। प्रकरण में आयी साक्ष्य से यह दर्शित नहीं है कि आरोपीगण द्वारा आहत इमरान उर्फ छोटू को दांत से काटकर भी उपहति कारित की गयी थी, चूंकि उक्त बिंदु पर कोई साक्ष्य अभियोजन द्वारा अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गयी है। अतः प्रकरण में आयी साक्ष्य से यह दर्शित नहीं होता है कि आरोपीगण ने आहत छोटू को दांतों से काटकर उपहति कारित की थी ऐसी स्थिति में आरोपीगण को भा.दं.सं. की धारा [324/34](#) के अंतर्गत दोषारोपित नहीं किया जा सकता है। फलतः आरोपीगण को भा.दं.सं. की धारा [324/34](#) के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

30. समग्र अवलोकन से यह दर्शित है कि प्रकरण में फरियादी नजमा वानो अ.सा.1 ने आरोपी सादिक एवं बबलू द्वारा उसकी लात-घूसों से मारपीट करना तथा जुम्मन द्वारा आहत छोटू की सरिये से मारपीट करना बताया है। आहत इमरान उर्फ छोटू अ.सा.2, सलीम खान अ.सा.3 एवं रफीक खां अ.सा.5 द्वारा भी फरियादी नजमा अ.सा.1 के कथन का समर्थन किया गया है एवं आरोपी सादिक एवं बबलू द्वारा नजमा की लात-घूसों से मारपीट करने तथा आरोपी जुम्मन द्वारा आहत इमरान उर्फ छोटू की सरिये से मारपीट करने बाबत प्रकटीकरण किया गया है। उक्त सभी साक्षीगण का बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा पर्याप्त प्रतिपरीक्षण किया गया है, परंतु प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त सभी साक्षीगण का कथन तुच्छ विसंगतियों को छोड़कर तात्विक विरोधाभाषों से परे रहा है। फरियादी नजमा वानो द्वारा घटना की सूचना यथाशीघ्र थाने पर दी गयी है एवं फरियादी नजमा वानो अ.सा.1 का कथन तात्विक बिंदुओं पर प्र.पी.1 की प्रथम सूचना रिपोर्ट से भी पुष्ट रहा है। आरोपीगण की ओर से उक्त तथ्यों के खण्डन में कोई विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है ऐसी स्थिति में अभियोजन की अखण्डित रही साक्ष्य पर अविश्वास किये जाने का कोई कारण नहीं है।
31. फलतः उपरोक्त चरणों में की गयी विवेचना से यह प्रमाणित है कि घटना दिनांक को आरोपीगण द्वारा फरियादी नजमा वानो की लात-घूसों से एवं आहत इमरान उर्फ छोटू की सरिये से मारपीट कर उन्हें उपहति कारित की गयी थी।
32. अब न्यायालय को यह विचार करना है कि क्या आरोपीगण के मध्य फरियादी नजमा वानो एवं आहत इमरान उर्फ छोटू को उपहति कारित करने का सामान्य आशय निर्मित था? यहां यह उल्लेखनीय है कि आरोपीगण के मध्य फरियादीगण की मारपीट करने का सामान्य आशय निर्मित था अथवा नहीं इसका निर्धारण आरोपीगण के कृत्य एवं प्रकरण की परिस्थितियों से ही किया जा सकता है उक्त संबंध में कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य आना संभव नहीं। प्रस्तुत प्रकरण में आयी साक्ष्य से यह दर्शित है कि आरोपी सादिक, बबलू एवं जुम्मन घटना के समय मौके पर उपस्थित थे एवं उनके द्वारा मारपीट में भाग लिया गया था। आरोपी सादिक एवं बबलू द्वारा फरियादी नजमा की लात-घूसों से मारपीट की गयी थी एवं जुम्मन ने आहत इमरान उर्फ छोटू को सरिया मारा था। प्रकरण में आयी साक्ष्य से यह दर्शित है कि सभी आरोपीगण द्वारा मारपीट करने में भाग लिया गया

था एवं जहां सभी आरोपीगण द्वारा फरियादीगण की मारपीट की गयी हो वहां यही माना जायेगा कि सभी आरोपीगण के मध्य फरियादीगण की मारपीट करने का सामान्य आशय निर्मित था एवं सभी आरोपीगण उस मारपीट के लिए उत्तरदायी होंगे। प्रस्तुत प्रकरण में आयी साक्ष्य से यही दर्शित होता है कि आरोपी बबलू सादिक एवं जुम्नन के मध्य फरियादी नजमा वानो एवं आहत इमरान उर्फ छोटू को उपहति कारित करने का सामान्य आशय निर्मित था एवं आरोपीगण द्वारा उक्त सामान्य आशय के अग्रशरण में फरियादी नजमा वानो एवं आहत इमरान उर्फ छोटू की मारपीट कर उन्हें उपहति कारित की गयी थी।

33. अब न्यायालय को यह विचार करना है कि क्या आरोपीगण द्वारा फरियादी नजमा वानो एवं आहत इमरान उर्फ छोटू को स्वेच्छया उपहति कारित की गयी थी। उक्त संबंध में यह उल्लेखनीय है कि फरियादी एवं आरोपीगण के मध्य आकस्मिक झगड़ा हुआ था एवं झगड़े के दौरान आरोपीगण द्वारा फरियादी नजमा वानो की लात-घूसों से तथा आहत इमरान उर्फ छोटू की सरिये से मारपीट की गयी थी। मारपीट करते समय आरोपीगण यह समझने में सक्षम थे कि उनके द्वारा जिस तरह से जिस आयुद्ध से फरियादीगण की मारपीट की जा रही थी उससे फरियादी नजमा वानो को एवं आहत इमरान उर्फ छोटू को उपहति कारित होना संभावित है। आरोपीगण का ऐसा कहना भी नहीं है कि उनके द्वारा प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करते हुए फरियादी नजमा वानो एवं आहत इमरान उर्फ छोटू को उपहति कारित की गयी थी। ऐसी स्थिति में प्रकरण की परिस्थितियों से यही दर्शित होता है कि आरोपीगण द्वारा फरियादी नजमा वानो एवं आहत इमरान उर्फ छोटू को स्वेच्छया उपहति कारित की गयी थी।
34. फलतः उपरोक्त चरणों में की गयी समग्र विवेचना से अभियोजन यह प्रमाणित करने में सफल रहा है कि आरोपीगण ने दिनांक 07.10.16 को 18:30 बजे सदर बाजार डाकघर के पास वार्ड क्र. 14 गोहद में सामान्य आशय के अग्रशरण में फरियादी नजमा वानो एवं आहत छोटू की मारपीट कर उन्हें स्वेच्छया उपहति कारित की। फलतः यह न्यायालय आरोपीगण को भा.दं.सं. की धारा 323(दो शीर्ष) के अंतर्गत दोषी पाती है।
35. समग्र अवलोकन से यह न्यायालय आरोपी जुम्नन खां, सादिक खां एवं बबलू उर्फ इरफान खां को भा.दं.सं. की धारा 294, 506 भाग2 एवं [324/34](#) के आरोप से दोषमुक्त करते हुए आरोपीगण को भा.दं.सं. की धारा 323(दो शीर्ष) के अंतर्गत सिद्धदोष पाते हुए दोषसिद्ध करती है।
36. सजा के प्रश्न पर सुने जाने हेतु निर्णय लिखाया जाना अस्थाई रूप से स्थगित किया गया।

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद
जिला भिण्ड म0प्र0

पुनश्च: —

37. आरोपीगण एवं उनके विद्वान अधिवक्ता को सजा के प्रश्न पर सुना गया।

आरोपीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा व्यक्त किया गया कि आरोपीगण का यह प्रथम अपराध है। आरोपीगण ने नियमित रूप से विचारण का सामना किया है। अतः आरोपीगण को परिवीक्षा का लाभ दिया जावे।

38. आरोपीगण के अधिवक्ता के तर्क पर विचार किया गया। प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से दर्शित होता है कि अभियोजन द्वारा आरोपीगण के विरुद्ध कोई पूर्व दोषसिद्धि अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है। आरोपीगण द्वारा नियमित रूप से विचारण का सामना किया गया है परन्तु आरोपीगण द्वारा जिस तरह से फरियादीगण की मारपीट कर उन्हें स्वेच्छया उपहति कारित की गई है उन परिस्थितियों में आरोपीगण को परिवीक्षा पर छोड़ा जाना उचित नहीं है। आरोपीगण को शिक्षाप्रद दंड से दंडित किया जाना न्यायोचित है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि आरोपीगण वर्ष 2016 से विचारण की पीढ़ा को झेल रहे हैं। फरियादी नजमा वानो के कोई दर्शनीय चोट नहीं है एवं आहत इमरान उर्फ छोटू की चोटें भी साधारण प्रकृति की हैं। अतः फरियादीगण की चोटों की प्रकृति एवं प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुए आरोपीगण को न्यायालय उठने तक की सजा तथा अर्थदण्ड से दण्डित करने से न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति होना संभव है। फलतः यह न्यायालय आरोपी जुम्नन खां, सादिक खां एवं बबलू उर्फ इरफान खां में से प्रत्येक को भा.द.सं. की धारा 323(दो शीर्ष) के अंतर्गत प्रत्येक शीर्ष में न्यायालय उठने तक की सजा एवं पांच-पांच सौ रुपये के अर्थदण्ड तथा अर्थदण्ड की राशि में व्यतिक्रम होने पर पांच-पांच दिवस के साधारण कारावास के दण्ड से दण्डित करती है।
39. कारावास की सभी सजायें एक साथ चलेंगी।
40. आरोपीगण पूर्व से जमानत पर है उनके जमानत एवं मुचलके भारहीन किये जाते हैं।
41. प्रकरण में जप्तशुदा सरिया अपील अवधि पश्चात् तोड़-तोड़ कर नष्ट किया जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपील न्यायालय के निर्देशों का पालन किया जावे।
42. आरोपीगण जितनी अवधि के लिये न्यायिक निरोध में रहे है उसके संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत ज्ञापन तैयार किया जावे। आरोपीगण द्वारा न्यायिक निरोध में बिताई गई अवधि उनकी सारवान सजा में समायोजित की जावे। आरोपीगण इस प्रकरण में न्यायिक निरोध में नहीं रहे है।

स्थान – गोहद

दिनांक – 09.02.2018

निर्णय आज दिनांकित एवं हस्ताक्षरित कर
गया।

खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

सही/—

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद जिला भिण्ड(म0प्र0)

मेरे निर्देशन में टंकित किया

सही/—

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद जिला भिण्ड(म0प्र0)